आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

आरती देवी उर्फ आरती कुंवर एवं अन्य

2016 का विविध अपील संख्या 128

16 मई, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा आय के दस्तावेजी सबूत के अभाव में अत्यधिक था, और क्या कटौतियां, भविष्य की संभावनाएं, तथा संघ के शीर्षों को सही ढंग से लागू किया गया था ?

हेडनोट्स

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – धारा 166 – न्यायोचित एवं उचित मुआवजा – काल्पनिक आय में शैक्षिक योग्यता और जीवन स्तर प्रतिबिंबित होना चाहिए –

हालांकि मृतक की आय का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था, लेकिन मौखिक साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि वह निजी ट्यूशन से कमाई करने वाला स्नातकोत्तर था। उसकी योग्यता (इतिहास में एमए) और जीवनशैली (मोटरसाइकिल मालिक) को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने सही ढंग से ₹10,000/माह की काल्पनिक आय का आकलन किया। कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (2021) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिक्षित व्यक्तियों को केवल दस्तावेजों की कमी के कारण न्यूनतम वेतन स्तर पर नहीं आंका जा सकता।
[पैरा 17–18]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – मुआवज़ा – स्थायी रूप से नियोजित न होने पर भी 40% की दर से भविष्य की संभावनाएं –

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी , (2017) 16 एससीसी 680, और हेम राज बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निर्धारित सिद्धांत का पालन करते हुए ,

40 वर्ष से कम आयु के स्व-नियोजित या औपचारिक रूप से वेतनभोगी नहीं होने वाले मृतक व्यक्तियों के लिए भी भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ना अनिवार्य है।

[पैरा 14, 16, 18]

मुआवज़ा – पारंपरिक शीर्ष – अंतिम संस्कार व्यय, संघ, और स्थापित कानून के आधार पर संपत्ति की हानि में वृद्धि –

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम , (2018) 18 एससीसी 130 और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर , (2021) 11 एससीसी 780 के फैसलों के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। कंसोर्टियम की हानि के तहत आठ आश्रितों में से प्रत्येक को 48,400 रुपये मिलने चाहिए।

[पैरा 15, 16]

मुआवज़ा – व्यक्तिगत व्यय के लिए 1/5 वीं कटौती – अनुमेय जहां आश्रितों की संख्या पांच से अधिक है –

चूंकि मृतक अपने पीछे छह आश्रितों को छोड़ गया था, इसलिए व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के लिए सामान्य 1/3 के स्थान पर 1/5 की कटौती उचित है।

[पैरा 14]

मुआवजे पर ब्याज – भावी संभावनाओं के घटक पर देय नहीं – गलत प्रस्ताव –

निचली अदालतों द्वारा भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज न देने के मामले में लिया गया विपरीत दृष्टिकोण गलत है। ब्याज की गणना सभी मदों सहित कुल मुआवजे पर की जानी चाहिए।

[पैरा 16–17]

राहत – पुरस्कार में संशोधन – कुल मुआवजा 6% साधारण ब्याज के साथ ₹24,39,500 निर्धारित किया गया –

न्यायाधिकरण द्वारा 7% ब्याज सहित ₹26,54,000 के निर्णय को संशोधित कर 6% ब्याज सहित ₹24,39,500 कर दिया गया, जिसका भुगतान बीमाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से तीन महीने के भीतर किया जाना है।

[पैरा 18–19]

न्याय दृष्टान्त

कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2021) 1 एससीआर 989 – लागू; प्रणय सेठी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2017) 16 एससीसी 680 - अनुसरण किया

गया; मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम, (2018) 18 एससीसी 130 – लागू; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर , (2021) 11 एससीसी 780 – लागू; हेम राज बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , (2022) 10 एससीसी 248 – लागू

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर दुर्घटना; काल्पनिक आय; भविष्य की संभावनाएं; स्नातकोत्तर मृतक; संघ; अंतिम संस्कार व्यय; धारा 166 एमवी अधिनियम; व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती; संशोधित पुरस्कार; शैक्षिक योग्यता

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान तदर्थ अपर जिला न्यायाधीश-III सह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रोहतास , सासाराम द्वारा दावा वाद संख्या 156/2012 में दिनांक 19.06.2015 को पारित निर्णय एवं अवार्ड

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का विविध अपील संख्या 128

==========

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड

हाउस संख्या 414, वीर सावरकर मार्ग, सिद्धी विनायक मंदिर के पास, प्रभा देवी, मुंबई, कानूनी अनुभाग/प्रबंधक के द्वारा, चौथी मंजिल, एल्डेको कॉर्पोरेट चैंबर-I, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, अपील/अपीलकर्ता, विधिक प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पैंट लिमिटेड, कार्यालय- उमा कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना-1 ।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. आरती देवी उर्फ आरती कुंवर, पति- स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता ।
2. दिलीप कुमार गुप्ता, पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता ।
3. ज्योति कुमारी, पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता ।
4. प्रीति कुमारी, पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता ।
5. अंशु कुमारी, पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता ।
6. अजीत कुमार गुप्ता, पिता- स्वर्गीय अनिल कुमार गुप्ता ।
7. लालमुनि देवी, पति- श्री बहादुर साह ।

प्रतिवादी संख्या 2 से 6 नाबालिग हैं और माँ के प्राकृतिक संरक्षक संरक्षण में हैं, (प्रतिवादी संख्या 1) ।

उपरोक्त सभी लोग ग्राम- सीधी, डाकघर- गोरी, थाना- करगहर, जिला रोहतास (बिहार) के निवासी हैं ।

..... दावाकर्तागण/ प्रतिवादीगण

8. अशोक सिंह, पिता- तुलसी सिंह, निवासी-ग्राम- गंगौली, डाकघर/थाना- डालमियानगर, जिला-रोहतास, बिहार पिन-821385 (स्वामी) ।

.... वि.प.1/ प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थीगण के लिए : श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के लिए : श्री राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

सीएवी निर्णय

तिथि: 16-05-2025

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादीओं के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

2. यह विविध अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 (इसके बाद "मो.वा. अधिनियम") के अधीन अपीलार्थियों की ओर से विद्वत तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-III सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रोहतास, सासाराम (इसके बाद "विद्वान न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित") द्वारा, दावा वाद संख्या- 156/2012 में दावेदारों को दिनांक 19.06.2015 के निर्णय और राशि के जमा करने के आदेश के माध्यम से दिए गए अत्यधिक मुआवजे की राशि के विरुद्ध में दायर की गई है।

3. विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी 26,54,000/- रुपये मुआवजे के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं, और तदनुसार आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि का भुगतान तुरंत करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही आदेश दावा याचिका की तारीख से 3 महीने के भीतर विद्वान न्यायाधिकरण के निर्णय की प्राप्ति के दो महीने के भीतर प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

4. विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा की गई क्षतिपूर्ति राशि की गणना का विवरण इस प्रकार हैः

क्रमांक	***शीर्षक***	***गणना***	***शुद्ध राशि***
1.	मासिक आय		रु. 10, 000/-
2.	वार्षिक आय	रु. 10, 000/- * 12	रु. 1,20,000 -
3.	भविष्य की संभावना	1,20,000 का 50% + रु 1,20,000	1,80,000
4.	व्यक्तिगत और जीविका के खर्चों के लिए 1/5 वी कटौती		रु. 36, 000/-
5.	मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष है और 16 का गुणक लागू होता है।	रु. 1,44,000 * 16	रु. 23,04,000 -
6.	सह व्यवस्था का नुकसान		रु. 3,00,000/-
7.	अंतिम संस्कार का खर्च		रु. 50, 000/-

8.	दावेदार द्वारा प्राप्त अंतरिम मुआवजा		रु. 50, 000/-
9.	**मुआवजे की कुल राशि**		**रु. 26,54,000 -**
10.	**शुद्ध राशि**	रु. 26,54,000/- रु. 50, 000	**रु. 26,04,000**

5. सुचनादाता के *फर्दबयान* के अनुसार वर्तमान वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतक अनिल कुमार गुप्ता अपने चचेरे भाई कृष्ण कुमार गुप्ता के साथ मोटरसाइकिल से दिनांक 13.09.2012. को 10.00 बजे विपणन करने हेतु करगहर जा रहे थे और जब वे 12.30 बजे गाँव लौट रहे थे और अमोलिया चौक स्कूल के पास पहुंचे, तो लाल रंग का टाटा मैजिक वाहन संख्या- बीआर-24 जी-4948 चालक द्वारा लापरवाही से चलाए जाने के कारण मोटरसाइकिल से टकरा गई जिससे अनिल कुमार गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल, सासाराम ले जा रहे थे, लेकिन इलाज के लिए जाते समय रास्ते में अनिल कुमार गुप्ता की मौत हो गई।

6. सूचनादाता बहादुर साह के *फर्दबयान* पर, करगहर थाना कांड संख्या 175/2012 दर्ज किया गया था और जांच के बाद चालक विनोद कुमार के विरुद्ध भा०द०स० की धारा 279, 337, 304 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। दावेदार ने स्वामी अशोक सिंह विपरीत पक्ष संख्या-1 के विरुद्ध और आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विधिक अनुभाग प्रबंधक के माध्यम से आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. आरती देवी विधवा, दिलीप

कुमार, ज्योति कुमारी, प्रीति कुमारी, अंशु कुमारी और अजीत कुमार गुप्ता, सभी नाबालिग बच्चे हैं, लालमुनि देवी मृतक की मां हैं, के विरुद्ध वाद दर्ज कराया है । दावेदारों ने निवेदित किया है कि मृतक शिक्षक था और 10,000/- रुपये प्रति माह कमाता था । अन्य दावेदारों ने 4,00,000/- रुपये क्षतिपूर्ति का दावा किया है। दावेदार द्वारा उसकी ओर से और मृतक के नाबालिग बच्चों की ओर से उनकी माँ और विधिक अभिभावक के द्वारा

7. इसके अलावा, विद्वत न्यायाधिकरण ने सरिस्तेदार की रिपोर्ट मांगी और बाद में वाद स्वीकार कर लिया गया और विरोधी पक्ष को समन भेजा गया, लेकिन विरोधी पक्ष संख्या 1 उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए विरोधी पक्ष संख्या 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही शुरू की गई है। विपरीत पक्ष संख्या-2 आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उपस्थित हुई ।

8. पक्षकारों की ओर से आगे की गई दलीलों और प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

i. क्या दावा आवेदन बनाए रखने योग्य है?

ii. क्या दिनांक 18.9.12 को अमोलिया चौक स्कुल सासाराम पथ, थाना करगहर, जिला– रोहतास के पास टाटा मैजिक पंजीक्रित वाहन संख्या- बी.आर.-24 जी/4998, से, इसके वाहन चालक द्वारा दोषपुर्ण और लापरवाही से हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति, मृतक अनिल कुमार गुप्ता की 1967 की रोल्यान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी?

iii. क्या दावेदार मुआवजे के हकदार हैं और किससे?

iv. क्या दावेदार किसी अन्य राहत या राहत के हकदार हैं?

9. अपने दावे के मामले के समर्थन में दावेदारों ने कुल मिलाकर तीन गवाहों से पूछताछ की है। वे हैं सी.डब्ल्यू.-1 बबलू कुमार, सी.डब्ल्यू.-2 भरत साह और सी.डब्ल्यू.-3 आरती देवी विधवा उर्फ आरती कुएर की जांच की गई थी। दावेदारों की ओर

से कुछ दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में भी चिह्नित किया गया है। वे हैं- प्रदर्श-1 वंशावली प्रमाण पत्र, प्रदर्श-2 मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदर्श- 3 और 3/1 मृतक के मैट्रिक और स्नातक के अंक पत्र की प्रति, की अतिरिक्त- अंक-पत्र, प्रदर्श- 3/2 एम.ए. का अंक-पत्र, प्रदर्श- 4 आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-5 प्राथमिकी, प्रदर्श-X पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की फोटो कॉपी, प्रदर्श-X/1 बीमा प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी और प्रदर्श- X/2 वाहन का पंजीकरण पत्र । विपरीत पक्ष बीमा कंपनी ने ओ. पी. डब्ल्यू.-1 सुबर्तो कुमार साहू की जांच की है और ओ. पी. डब्ल्यू.-1 की पहचान पर, प्रदर्श- X/1 और ए को चिह्नित किया गया है ।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय/राशि दिये जाने का आदेश विधि की दृष्टि से गलत है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बुरा है और माननीय न्यायालय द्वारा तय किए गए विधि के विरुद्ध है। आगे विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वत न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा कि अभिलेख पर कोई आय प्रमाण नहीं लाया गया है और मौखिक साक्ष्य को छोड़कर अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह खुलासा करती है कि मृतक एक शिक्षक था। विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की उम्र का आकलन भी बहुत ही आकस्मिक और काल्पनिक तरीके से किया है।

10.i. उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा तय की गई कमाई अनुमान के आधार पर है। मृतक बेरोजगार था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह माना गया है कि मृतक शिक्षित था क्योंकि इस तरह से वह 10 000/-रु प्रति माह कमाता था। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा कि स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले इतने सारे व्यक्ति बेरोजगार हैं। इसलिए वर्तमान दावे के मामले में 100 रुपये प्रतिदिन की आय मानी जाती है और मुआवजे की गणना मृतक की आय 3000 रुपये मानकर की जाती है। अगर 3000 रुपये की काल्पनिक आय और

भविष्य की संभावना को भी जोड़ दिया जाए तो मुआवजे की गणना 4500 रुपये प्रति माह के हिसाब से की जाएगी न कि 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। ***लक्ष्मी देवी और अन्य बनाम मो. तब्बर और अन्य 2008 0 ए. सी. जे. 1488*** में रिपोर्ट किए गए के प्रकाश में रु. 100/- प्रति दिन आय के रूप में लिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि साक्ष्य के अभाव में या गणना को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम मजदूरी अकुशल के लिए 151 रुपये, अर्ध-कुशल के लिए 158 रुपये और कुशल के लिए 192 रुपये होगी और यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार एक महीने में 26 दिनों के लिए होगी। इस सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कीर्ति और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2021) 1 एससीआर 989*** के मामले में दोहराया है।

10.ii. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भविष्य की संभावना के शीर्ष के तहत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने जम्मू -कश्मीर और लद्दाख के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ***यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंद्रजीत 2024 0 सुप्रीम (जे एंड के) 170*** पारित और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पर भरोसा किया था ***77/2017 के एम.ए.सी. अपील*** में ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती. रूमी बर्मन और अन्य*** में पारित निर्णय पर विस्वास किया था।

10.iii. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की सूची में यह अभिनिर्धारित किया कि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मुआवजे की गणना के लिए अनुमानित आय या न्यूनतम मजदूरी पर विचार किया जाएगा और इस प्रस्तुति के लिए उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा ***सानिचारी देवी और अन्य बनाम संजय कुमार यादव और अन्य 2012 4 बी. बी. सी. जे.***

429; 2012 0 सुप्रीम (पट) 685 और दुखनी देवी बनाम शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड 2019 0 ए. सी. जे. 2691 में पारित निर्णयों पर भरोसा किया।

10.iv. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुमति दी गई थी, लेकिन यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तथ्यों और परिस्थितियों में ***यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शिला दत्ता एवं अन्य, 2011 (7) सुप्रीम 129*** के मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न करने के कारण, परमिट प्रस्तुत न करने और वाद में चालक को पक्षकार के रूप में शामिल न करने के कारण ने गहरा पूर्वाग्रह व्यक्त होता है जो, अपीलार्थी का हित और अपीलार्थी के मामले की सराहना करने में विफल रहा।

11. दावेदारों/प्रतिवादीओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपील का वर्तमान ज्ञापन बनाए रखने योग्य नहीं है अपील को गलत और गलत धारणाओं पर प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने निर्धारित विधि के अनुसार निर्णय को सही ढंग से पारित किया है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***प्रणय सेठी (ऊपर)*** और **सरला वर्मा *(ऊपर)*** में मुआवजे और अन्य शीर्षों में वृद्धि के बिन्दु पर पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुनीता और अन्य बनाम विनोद सिंह और अन्य, 2025 की एस. एल. पी. सिविल अपील संख्या 114/2019 में** पारित निर्णय पर भरोसा किया ।

12. वर्तमान वाद, दुर्घटना की घटना और बीमा कम्पनी की देयता विवाद में नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष निर्णय लेने वाला एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दावेदारों को दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित है या अत्यधिक है?

13. क्षतिपूर्ति शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें नुकसान के लिए दावा शामिल है। अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के पुरस्कार के दावे में दावेदार न्यायसंगत मुआवजे का हकदार है जो न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए । जीवन और अंगों के नुकसान की भरपाई कभी भी समान रूप से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य दावेदारों को परिवार के सदस्य के नुकसान का निवारण करने, कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने और दावेदारों को उचित सीमा तक क्षतिपूर्ति करने में सुविधा प्रदान करना है।

14. विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु तदनुसार 36 वर्ष थी जैसा कि दृष्टिकोण ***राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम प्रणय सेठी और अन्य में (2017) 16 एस. सी. सी. 680*** में और ***सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 121*** में रिपोर्ट किया गया है, मृतक की आयु सीमा (36 से 40) के अनुसार लागू गुणक 15 होगा। भविष्य की संभावना के संबंध में, मृतक की मासिक आय का 40 प्रतिशत उसकी आय में जोड़ा गया और उसकी वास्तविक आय का पांचवां हिस्सा काट लिया गया है। इस संबंध में पक्षों की ओर से कोई विवाद नहीं है। यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि संघ का नुकसान प्रत्येक दावेदार को दिया जाएगा।

15. जहां तक दावेदारों की पारंपरिक क्षति का संबंध है, विद्वान न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार व्यय की हानि के रूप में 50,000/- रुपये, नाबालिग बच्चों के प्यार और स्नेह के बदले 1,00,000/- रुपये और मृतक की पत्नी को प्यार और स्नेह के बदले 1,00,000 रुपये और संघ की हानि के रूप में 1,00,000/- रुपये का आदेश दिया है, जो उचित मुआवजा नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। मृतक अपने पीछे पत्नी और पांच नाबालिग बच्चों को अपने आश्रितों के रूप में छोड़ गया है। प्रणय सेठी (सुप्रा) मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम (2018) 18

एससीसी 130 में रिपोर्ट किए गए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @ सतविंदर कौर और अन्य (2021) 11 एससीसी 780 में रिपोर्ट किए गए और रोजलाइन नायक और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर। अजीत साहू और अन्य ने 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1901 में रिपोर्ट किया है, पारंपरिक शीर्षक के तहत मुआवजे के रूप में निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:

क्रमांक	***शीर्षक***	***गणना***	***मुआवजे की राशि***
1	संपत्ति का नुकसान	रु. 15, 000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 18,150/-
2.	संघ का नुकसान	रु. 40,000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 3,87,200/-(रु. 48, 400/- x 8)
3.	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 15,000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 18, 150/-

16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया है कि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मुआवजे की गणना के लिए काल्पनिक आय या न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा जाएगा और भविष्य की संभावना के तहत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता है, वे अपीलकर्ता के समर्थन में नहीं हैं। जैसा कि ***कीर्ति (उपर)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 12, 13 और 14 में कहा है:

"12. दूसरा, हालांकि यह सही है कि दावेदार विनोद की आय का प्रमाण देने वाला कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे हैं, और न ही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में उनकी नौकरी स्थापित की है; लेकिन यह उनकी आय की गणना करते समय न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाने को उचित नहीं ठहराता है। गवाहों के बयान, अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य और दुर्घटना की परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि विनोद तुलनात्मक रूप से अधिक शैक्षिक रूप से योग्य और कुशल था। इसके अलावा, उन्होंने अपने परिवार के लिए उचित जीवन स्तर बनाए रखा, जैसा कि उनके आने-जाने के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग से पता चलता है। मृतक के परिवार के जीवन स्तर को बनाए रखना मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति कानून का एक मौलिक प्रयास है।

13. *तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी बीमाकर्ता की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष उनके निवेदन पर विचार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के अनुदान को चुनौती देना अनुचित है कि इस तरह के मुआवजे का भुगतान प्रणय सेठी (उपर) संदर्भ के परिणाम के लंबित रहने तक नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, इस बिंदु पर विधि अब एकीकृत नहीं है, और स्पष्ट रूप से विद्यमान है, जैसा कि एडोर-उद्धृत संवैधानिक पीठ के निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है:*

"59.4. यदि मृतक स्व-नियोजित या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना

चाहिए, जहाँ मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी। जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी, वहा 25 प्रतिशत की वृद्धि और जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, वहा 10 प्रतिशत को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए। स्थापित आय का अर्थ है आय को कर घटक से घटाना।" [जोर दिया गया]

14. *यह देखते हुए कि कैसे दोनों मृतक 40 वर्ष से कम उम्र के थे और कैसे उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में स्थापित नहीं किया गया है, 40 प्रतिशत भुगतान किया की भविष्य की संभावनाएँ होनी चाहिए।* ***यह तर्क कि अनुमानित आय वाले लोगों के लिए भविष्य में ऐसी किसी भी संभावना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विधि में गलत है और देश में मजदूरी में निरंतर मुद्रास्फीति-प्रेरित वृद्धि को देखते हुए योग्यता के बिना है । हेम राज बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** *में इस न्यायालय की टिप्पणियों को उद्धृत करना पर्याप्त होगा। जैसा कि यह बताता है वर्तमान वाद में मृतक को भविष्य की संभावनाओं का भुगतान न करने से संबंधित किसी भी तर्क को छोड़ दें:*

"7. हमारा विचार है कि जहां आय का सकारात्मक प्रमाण है और जहां न्यूनतम आय किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुमान पर निर्धारित की जाती है, वहां अंतर नहीं हो सकता है। दोनों स्थितियाँ एक ही पायदान पर खड़ी हैं। तदनुसार, वर्तमान वाद में, न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित आय

में 40 प्रतिशत का जोड़ किया जाना आवश्यक है।[जोर दिया गया]

17. उपरोक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई विधिक बल नहीं है। भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 141 के अनुसार सभी उच्च न्यायालय और यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपात से बाध्य हैं। उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि यदि मृतक नियोजित था, लेकिन दावेदार विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी वास्तविक आय साबित करने में सक्षम नहीं हैं, तो न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर मृतक की आय का "अनुमान" लगाता है, जैसे कि मृतक और उसके परिवार द्वारा जीवन की गुणवत्ता, उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति की सामान्य कमाई, मृतक की योग्यता और अन्य विचार। अपने दावे के समर्थन में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत पूरे गवाहों के बयान और भौतिक साक्ष्यों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि सभी गवाहों ने अपने बयान में कहा कि मृतक लगभग र 10, 000- से 14,000 रु निजी ट्यूशन से कमाता था और उनके इस तरह के बयान को कथित गवाहों की जिरह के समय विरोधी पक्ष/अपीलार्थी द्वारा चुनौती या सुझाव नहीं दिया गया है। बयानों और प्रदर्शों से यह भी स्पष्ट है कि मृतक तुलनात्मक रूप से अधिक शैक्षिक रूप से योग्य था क्योंकि मृतक ने इतिहास में स्नातकोतर. पूरा किया था और वह कुशल था। इसके अलावा, उन्होंने अपने परिवार के लिए उचित जीवन स्तर बनाए रखा, जैसा कि उनके आने-जाने के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग से पता चलता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि मृतक दुर्घटना के समय न्यूनतम 10,000 रु. कमा रहा था। प्रदर्श-2 के अवलोकन पर कि मृतक की जन्म तिथि 17.03.1977 है और दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 36 वर्ष थी और यह स्थापित नहीं हुआ था कि वह एक स्थायी कर्मचारी था,

इसलिए, 40 प्रतिशत की भविष्य की संभावनाओं का भुगतान निम्नलिखित ***प्रणय सेठी (उपर)*** का पैरा 59.4 के अनुसार किया जाना चाहिए ।

18. इस प्रकार, देय मुआवजे की कुल राशि इस प्रकार होगीः

क्रमांक	***शीर्षक***	***मुआवजा दिया गया***
1	वार्षिक आय	रु. 1,20,000-(रु. 10,000 * 12)
2.	भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 1,68,000/-(रु. 48,000 + रु. 1,20,000)
3.	1/5 व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती	रु. 33, 600/-
4.	कटौती के बाद वार्षिक आय	रु. 1,34,400 -
5.	गुणक	15.
6.	निर्भरता का नुकसान	रु. 20,16,000/-(रु. 1,34,400 * 6)
7.	संपत्ति का नुकसान	रु. 18, 150/-
8.	संघ का नुकसान	रु. 3,87,200 -
9.	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 18, 150/-
10.	कुल क्षतिपूर्ति	रु. 24,39,500/-

19. विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 19.06.2015 को पारित निर्णय और मुआवजे की राशि आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर केवल आय पर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। तदनुसार, इस अपील का निपटारा विवादित निर्णय और पुरस्कार में उपरोक्त संशोधन के साथ किया जाता है। सभी मुआवजे की राशि इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय होगी।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो निस्पादित किया गया।

21. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख और कार्यवाही को आवश्यक अनुपालन, यदि कोई हो, के लिए तुरंत विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमुर्ति)

आनंद कुमार

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।